.न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

बइजलास –रजत, आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 07 / 2024

प्रार्थीगणः–

1. किसनाराम पुत्र श्री मेहराम जाति जाट निवासीगण खंवर तहसील डेह जिला नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. बस्तीराम पुत्र श्री दीपाराम जााति जाट उम्र बालिग निवासी खंवर तहसील डेह (नागौर)
2. तहसीलदार साहब डेह।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति –

1. अधिवक्ता श्री योगेश कुमार शर्मा प्रार्थी पक्ष की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह राठौड अप्रार्थी पक्ष 1 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 2 राजपैरोकार

– : : आदेश : : –

दिनांकः–03/10/2025

1. प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण का खेत मौजा खंवर के खसरा नम्बर 504 रकबा 1.0441 हैक्टेयर, रहता चला आया है। प्रार्थी अपने खेत में खसरा नम्बर 1063 / 499 में से माफिक नजरी नक्शानुसार रास्ते से आता जाता रहा है। प्रार्थी अपने खेत 504 में काश्त कृषण करने गाड़ी छकड़ा लाने ले जाने हेतु इसी रास्ते का उपयोग करता है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 504 में आने जाने हेतु 15 फुट चौड़ाई का रास्ता मार्क ए से बी, तक खसरा नम्बर 1063 / 499 में दिया जावे। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी के खेत के लिए वैकल्पिक रास्ता नहीं लगता है तथा प्रार्थी के खेत के रास्ता यही होने से तथा प्रार्थी को प्रस्तावित / वांछित उक्त रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता है। प्रार्थी रास्ते हेतु उपभोग में

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

आने वाली भूमि के लिए नियमानुसार देय प्रतिकर राशि भुगतान हेतु सहमत है। अतः प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 कि ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह राठौड. ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार डेह को प्रकरण हाजा में मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई।

3. तहसीलदार डेह से मौका रिपोर्ट दिनांक 03.06.2024 को प्राप्त हुई। जो पत्रावली पर ली गई। तहसीलदार डेह ने मौका रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रार्थी के खेत में जाने का वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। वर्तमान में अस्थायी तोर पर उपस्वास्थय केन्द्र बनने से पहले से खेत ख.न. 499 की पूर्वी माठ के पास से होकर आना जाना होता हैं । रास्ते हेतु वांछित/प्रस्तावित भूमि पर कोई कच्चा/पक्का निर्माण किया हुआ नहीं है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता 15 फीट की चौड़ाई में तथा खसरा नं. 1063/499 बिन्दू संख्या ए से बी तक की दूरी 429.36 वर्ग मीटर लम्बा एवं 15 फुट चौड़ा अर्थात 429.36 वर्गमीटर भूमि आति है। ग्राम खंवर की डीएलसी दर 9890 रूपये प्रति हैक्टेयर से 9890 गुणा 2 बराबर 19780 रूपये बनती है। अतः खसरा नम्बर 1063/499 की ए से बी तक भूमि की राशि 19780 डीएलसी दर अनुसार आंकलन किया गया।

4. अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह राठौड ने मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत कि जिसका सक्षिप्त विवरण निन्नानुसार है। आपत्ति में निवेदन किया कि प्रार्थी के वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जो उनके परिवार वालों का खसरा का है जिसका मौका रिपोर्ट में अंकन नहीं किया गया है। साथ ही अप्रार्थीया को बिना सूचना के मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की माठ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिनका हवाला नहीं दिया गया है। इसलिए मौका रिपोर्ट दोबारा मंगवाई जावे। वकील अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आपति का जवाब वकील प्रार्थी जवाब प्रस्तुत नही कर सिधे बहस करने का निवेदन किया। बहस आपत्ति सुनी गई। वकील अप्रार्थी ने आपति के तथ्यों का दोहरान किया एवं मौका रिपोर्ट दोबारा मंगवाने का निवेदन दौराने बहस किया। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया की वैकल्पिक रास्ता मौजूद होता तो मौका रिपोर्ट में उसका हवाला दिया जाता, मौका रिपोर्ट पक्षकारान को सूचना दि जाकर तैयार कि गई है। यह आपति केवल प्रकरण को लम्बा खिंचने के लिए प्रस्तुत कि गई है। इसलिए आपत्ति को खारिज किया जावे। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपति व मौका रिपोर्ट एवं बहस वकुलाय पर मनन किया गया। मौका रिपोर्ट के संलग्न नोटिस तामिलशुदा है। मौका रिपोर्ट में प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है एवं सबसें नजदीक रास्ता प्रस्तावित रास्ता है का स्पष्ट अंकन किया गया है जिससे साफ जाहिर होता है कि आपत्ति प्रकरण हाजा को लम्बा खिंचने कि नियत से पेश कि गई है। अतः आपत्ति खारिज योग्य होने से खारिज कि गई।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

5. वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत किया मय दस्तावेज गिरदावरी रिपोर्ट एवं छाया प्रति सेटेलाईट नक्शा प्रस्तुत किये। हस्तगत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र में वर्णित पैराज एवं तथ्य बनावटी, व गलत होना बताया तथा अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी के खेत खसरा नं. 504 में आने जाने हेतु कभी भी रास्ता खसरा नम्बर 1063/499 से नहीं रहा है। प्रार्थी अपने परिवारजन के अन्य खेताय से अपने खेत में आता जाता रहा है। प्रार्थी के लिए परिवार के सदस्यों के खेताय में से रास्ता उपलब्ध है। मौका रिपोर्ट में भी खसरा नम्बर 1062/499 में से आने जाने का स्पष्ट अंकन है एवं प्रार्थी वर्षो से यहीं से आता जाता रहा हैं। मौका रिपोर्ट में बताये अस्थाई रास्ता के मौके पर रास्ता आलामात भी मौजूद है जिसके रंगिन फोटोग्राफ पूर्व में न्यायालय में पेश कर दिये गये है। प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु अस्थाई वैकल्पिक रास्ता मौजूद है इसलिए प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत मनगढत तथ्यों पर आधारित होने से काबिल खारिज फरमावें।

6. बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित पैराज का पुनः दोहरान करते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थीगण का खेत मौजा खंवर के खसरा नम्बर रकबा 0.5989 हैक्टेयर, रहता चला आया है। प्रार्थी अपने खेत में खसरा नम्बर 504 में से माफिक नजरी नक्शानुसार रास्ते से आता जाता रहा है। प्रार्थी अपने खेत में से काश्त कृषण करने गाड़ी छकड़ा लाने ले जाने हेतु इसी रास्ते का उपयोग करता है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 504 में आने जाने हेतु 15 फुट चौड़ाई का रास्ता मार्क ए से बी, में दिया जावे। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी के खेत के लिए वैकल्पिक रास्ता नहीं लगता है तथा प्रार्थी के खेत के लिये वैकल्पिक रास्ता यही होने से तथा प्रार्थी को प्रस्तावित/वांछित उक्त रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता है। प्रार्थी रास्ते हेतु उपभोग में आने वाली भूमि के लिए नियमानुसार देय प्रतिकर राशि भुगतान हेतु सहमत है। अतः प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार जायल की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का रास्ता दिलवाने का निवेदन किया।

7. बहस के दौरान वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का पुर्नदोहरान किया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, गलत तथ्यों पर, मिथ्या, सारहीन होना बताया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित पैराज एवं तथ्य बनावटी, व गलत होना बताया तथा अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी के खेत खसरा नं. 504 में आने जाने हेतु कभी भी रास्ता खसरा नम्बर 1063/499 से नहीं रहा है। प्रार्थी अपने परिवारजन के अन्य खेताय से अपने खेत में आता जाता रहा है। प्रार्थी के लिए परिवार के सदस्यों के खेताय में से रास्ता उपलब्ध है। मौका रिपोर्ट में भी खसरा नम्बर 1062/499 में से आने जाने का स्पष्ट अंकन है एवं प्रार्थी वर्षो से यहीं से आता जाता रहा हैं। मौका रिपोर्ट में बताये अस्थाई रास्ता के मौके पर रास्ता आलामात भी मौजूद है जिसके रंगिन फोटोग्राफ पूर्व में न्यायालय में पेश कर दिये गये है। प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु अस्थाई वैकल्पिक रास्ता मौजूद है इसलिए प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। किसी भी खातेदार की भूमि में से काश्तकार को अपने खेत

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने तथा रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता होने पर ही काश्तकारी अधिनियम की धारा 251क के तहत रास्ता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है परन्तु प्रार्थी हमेशा से अपने परिवार जन के खेतो से आता जाता रहा है एवं मौका रिपोर्ट में भी अंकन है कि प्रार्थी अस्थाई तौर पर खसरा नम्बर 1063/499 से आता जाता रहा है। परन्तु प्रार्थी स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है अनावश्यक रूप से अप्रार्थी को तंग व परेशान कर रास्ता निकालने पर आमादा है यदि ऐसा हो जाता है तो प्रार्थी अपने मंसूबो पर सफल होगा जो कानून की मंशा के विपरित होगा। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

8. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् राजस्व रिकॉर्ड, मौका रिपोर्ट तहसीलदार जायल का अवलोकन किया गया साथ ही वकुलाय द्वारा पक्षकारान की ओर से पैरवी करते हुये दी गई दलीलों एवं बहस पर गहनतापूर्वक मनन किया गया। अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के जवाब में आपत्ति की है कि प्रार्थी के खेताय में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता खसरा नं. 505 में से में से है। तहसीलदार जायल की मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के खेत में आने जोन के लिए निकटतम रास्ता प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता ही है तथा इसके अलावा अन्य कोई नजदीकी दूसरा रास्ता नहीं है। मौका रिपोर्ट दिनांक 03.06.24 में प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नं. 504 में कृषि कार्य के लिए आने जाने हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता नहीं होने का अंकन है साथ ही मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर अप्रार्थी द्वारा ख.न. 1063/499 के दक्षिण मार्ग पर पक्की दीवार का निर्माण हाल ही में किया है।का अंकन किया है। एवं वर्तमान में खंवर से रोल सडक से उपस्वास्थ्य केन्द्र खंवर जाने के लिये रास्ता पहुंच मार्ग पर खुला है। मौके पर रास्ता चालू है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क प्रावधान के अनुसार किसी भी काश्तकार/खातेदार को रास्ता की आत्यान्तिक रास्ता की आवश्यकता होने तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता का अभाव सिद्ध होने की स्थिति में कटाणी रास्ते से सबसे नजदीकी व कम दूरी के रास्ते के उपभोग में आने भूमि के एवज में डीएलसी दर की दुगुनी प्रतिकर राशि भुगतान पर रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

9. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के खेत खसरा नं. 504 के मौजा–खंवर तहसील–जायल में तहसीलदार जायल के मार्फत प्राप्त मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित नक्शे अनुसार कृषि कार्य के लिए कृषि संसाधनों को लाने व ले जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने तथा प्रार्थी को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता प्रतीत होती है तथा रास्ते का अभाव हस्तगत प्रकरण में सिद्ध पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 03.06.24 में वर्णनानुसार अप्रार्थी गण के खेत खसरा नं. 1063/499 में से माफिक नजरी नक्शा एवं तकमीना वर्तमान

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

नवीनतम डी.एल.सी. दर से प्रतिकर राशि के एवज में रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

— : : आदेश : : —

यत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण प्रार्थी के खेत मौजा ,खंवर में खसरा नम्बर 504 रकबा 1.0441 हैक्टेयर के लिए माफिक नजरी नक्शानुसार ग्राम–खंवर के खसरा नं. 1063/499 रकबा 0.5989 हैक्टेयर में से तहसीलदार डेह से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 03.06.2024 के अनुसार स्वीकृत व घोषित किया जाता है। तहसीलदार डेह से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 03.06.2024 प्रकरण में निर्णय का भाग रहेगी।

तहसीलदार डेह को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त ग्राम खंवर के खसरा नं. 1063/499 में से रास्ते के उपयोग हेतु आने वाली भूमि के एवज में प्रार्थी से वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर अनुसार 2 गुणा राशि (माफिक मौका रिपोर्ट/तकमीना) प्रभावित खातेदार कृषक अप्रार्थी संख्या 1 को नियमानुसार भुगतान कराने की कार्यवाही करे। उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा।

माफिक आदेश बाद अपील मियाद के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03/10/2025 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

03/10/2025
(रजत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल